निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बिलेण्डी
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :– 169/2016 दावा
दायरा दिनांक :– 21.10.2016
निर्णय दिनांक :– 20.6.17

उनवान

1. हजारी लाल पुत्र गब्बा
2. नेनालाल पुत्र गब्बा
3. गूजी पुत्री गब्बा
4. मीरा पुत्री गब्बा
5. सन्ना पुत्री गब्बा
6. काली बाई पुत्री गब्बा जाति बंजारा निवासीगण फतेहपुर तहसील छीपाबड़ौद

बनाम

1. बलराम पुत्र दुर्गा
2. परमा पुत्र दुर्गा
3. हरनारायण पुत्र दुर्गा
4. गोपीचन्द पुत्र दुर्गा
5. मेघा पुत्र जस्सा
6. श्योजी पुत्र जस्सा
7. लाल पुत्र मांगीलाल
8. शब्बा पुत्र मांगीलाल
9. हरजी पुत्र मांगीलाल
10. मोहन पुत्र मांगीलाल
11. हीरा बाई पुत्री मांगीलाल
12. बिरधी बाई पुत्री मांगीलाल
13. चंदा पुत्र देवा जाति बंजारा निवासी फतेहपुर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
14. बृजराज पुत्र श्योजी
15. घनश्याम पुत्र श्योजी
16. नटी बाई पुत्री श्योजी
17. कजोडी बाई पत्नी स्व. श्योजी जाति बंजारा निवासी फतेहपुर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।
18. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे शाखा छीपाबड़ौद
19. भूमि आवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिचाई परियोजना झालावाड़ा।
20. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :–20.06.2017

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

अभिभाषक उपस्थित :— 1. श्री गोविन्द मुरारी गोतम
2. श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नंबर 16 रकबा 1.19 बीघा, खसरा नंबर 17 रकबा 7.13 बीघा, खसरा नंबर 48 रकबा 7.02 बीघा, खसरा नंबर 57 रकबा 2.18 बीघा, खसरा नंबर 59 रकबा 4.19 बीघा, खसरा नंबर 82 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नंबर 83 रकबा 2.08 बीघा, खसरा नंबर 84 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 85 रकबा 2.07 बीघा, खसरा नंबर 126 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 133 रकबा 2.03 बीघा कुल 11 किता रकबा 34.19 बीघा मौजा फतेहपुर मे स्थित है, जो मुताबिक जमाबन्दी वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 21 धापू बाई पत्नी गब्बा, धापू बाई पत्नी दुर्गा, झूमा बाई पुत्री जस्सा, नन्दु बाई पत्नि मांगीलाल, चन्दा पुत्र बेवा, केसी पुत्री देवा के सामलाती खातेदारी में दर्ज जमाबन्दी है, तथा हिस्सा 3/4 वादीगण व हिस्सा 1/4 प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। सह खातेदार धापू बाई पत्नी गब्बा, धापू बाई पत्नी दुर्गा, झूमा बाई पुत्री जस्सा, नन्दु बाई पत्नि मांगीलाल, चन्दा पुत्र बेवा, केसी पुत्री देवा का स्वर्गवास हो गया है, जिनके वारिसान उनके पुत्र पुत्रिया है। उक्त वर्णित आराजीयात पुश्तैनी है। तथा वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 21 एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात भी वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 21 के पास ग्राम फतेहपुर व अन्य गांव मे स्थित है। वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 21 के पूर्वजो के मध्य पूर्व में काफी वर्षो पूर्व बाहमी विभाजन हो रहा है, जिसके मुजब उक्त आराजीयात में से 3/4 हिस्से की आराजी वादीगण के तथा 1/4 हिस्से की आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पूर्वजो के हिस्से में आई थी, तथा बाहमी विभाजन के बाद उक्त आराजीया तमे से 3/4 हिस्से की आराजी वादीगण के पिता गब्बा का कब्जा काश्त चला आ रहा था। तथा गब्बा के स्वर्गवास के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी क्रम 5 ता 21 का किसी प्रकार का को हक व अधिकार नही रहा। विवादित आराजीयात डूब क्षैत्र मे आ जाने से प्रतिवादी क्रम 5 ता 21 के ना भी मुआवजा राशि का चेक बनाये जाने की पूरी–पूरी सम्भावना उत्पन्न हो गई है। यदि वादीगण साथ–साथ प्रतिवादी क्रम 5 ता 21 के नाम मुआवजा राशि का चेक बनाया जावेगा, तो वादीगण आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए वादीगण विवादित आराजीयात मे से प्रतिवादी क्रम 5 ता 21 का खातेदारी में से खारिज करवाकर अपने खातेदारी में दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादी क दिनांक 21.09.2016 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 5 ता 21 से उक्त वार्णित आराजीयात मे से अ नाम खातेदारी मे से हटवाकर वादीगण का नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया था, तो प्रतिवादी क्र ता 21 ने टालमटोल की तथा मुआवजा राशि प्राप्त करने की धमकी दी यही तिथि बिनाय मुख दावा हाजा करार की जाती है। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी ने अपने समर्थन मे नकल जमाबन्दी में ग्राम फतेहपुर सम्वत् 2072–75 पेश की गई। प्रकरण राजस्व अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प बिलेण्डी पर रखा गया। पक्षकारान् को राजस्व लोक अदाल आपके द्वार केम्प मे उपस्थित होने के लिये नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान् राजस्व लोक अद

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

19. गुड्डीबाई आयु वर्ष पुत्री श्याजी

Scanned by CamScanner

न्याय आपके द्वारा केम्प बिलेण्डी पर दिनाक 20.06.2017 को उपस्थित हुये। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वय उपस्थित होकर राजस्व लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा मे विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर खाता सख्या 26 खसरा नबर कुल 11 किता रकबा 34.19 बीघा स्थित है। उक्त विवादित आराजी मे हम वादी एव प्रतिवादीगणों के मध्य राजीनामा हो चुका है। मुताबिक राजीनामा विवादित आराजी 34.19 बीघा मे से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को समस्त खसरा नबरान मे से 10.02 बीघा के खातेदार दर्ज किया जावे, शेष प्रतिवादी क्रम 5 ता 21 का नाम उक्त आराजी मे गलत दर्ज होने के कारण उनका नाम उक्त आराजी से खारिज किया जावे। शेष भूमि वादीगण 1 ता 6 के खाते दर्ज रहेगी। पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा उनको पढ़कर सुनाया गया एवं समझाया गया। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा पढकर समझकर एव सतुष्टि के बाद राजीनामे पर हस्ताक्षर किये गये, जिसकी पहचान उनके अभिभाषक द्वारा की गई। वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बिलेण्डी पर आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प बिलेण्डी पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आरजी वाके ग्राम फतेहपुर के खसरा नंबर 16 रकबा 1.19 बीघा, खसरा नंबर 17 रकबा 7.13 बीघा, खसरा नंबर 48 रकबा 7.02 बीघा, खसरा नंबर 57 रकबा 2.18 बीघा, खसरा नंबर 59 रकबा 4.19 बीघा, खसरा नंबर 82 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नंबर 83 रकबा 2.08 बीघा, खसरा नंबर 84 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 85 रकबा 2.07 बीघा, खसरा नंबर 126 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 133 रकबा 2.03 बीघा कुल 11 किता रकबा 34.19 बीघा में से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को 10.02 बीघा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। शेष भूमि वादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी मे रहेगी। प्रतिवादी क्रम 5 ता 21 का नाम उक्त आराजी मे से हटाने / खारिज करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। वादी तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हीरालाल वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

...या 169/2016 | धारा अन्तर्गत 88,188 RTA

डिक्री

... श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां | निर्णय दिनाक : 20.06.2017

...स्थिति : अभिभाषक वादी – श्री ललित कुमार शर्मा | अभिभाषक प्रतिवादी –

वाद शीर्षक
उनवान

1. हजारी लाल पुत्र गब्बा
2. नेनालाल पुत्र गब्बा
3. गूजी पुत्री गब्बा
4. मीरा पुत्री गब्बा
5. सन्ना पुत्री गब्बा
6. काली बाई पुत्री गब्बा जाति बंजारा निवासीगण फतेहपुर तहसील छीपाबड़ौद

बनाम

1. बलराम पुत्र दुर्गा
2. परमा पुत्र दुर्गा
3. हरनारायण पुत्र दुर्गा
4. गोपीचन्द पुत्र दुर्गा
5. मेघा पुत्र जस्सा
6. श्योजी पुत्र जस्सा
7. लाल पुत्र मांगीलाल
8. शब्बा पुत्र मांगीलाल
9. हरजी पुत्र मांगीलाल
10. मोहन पुत्र मांगीलाल
11. हीरा बाई पुत्री मांगीलाल
12. बिरधी बाई पुत्री मांगीलाल
13. चंदा पुत्र देवा जाति बंजारा निवासी फतेहपुर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
14. बृजराज पुत्र श्योजी
15. घनश्याम पुत्र श्योजी
16. नटी बाई पुत्री श्योजी
17. कजोडी बाई पत्नी स्व. श्योजी जाति बंजारा निवासी फतेहपुर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां।
18. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे शाखा छीपाबड़ौद
19. भूमि आवाप्ति अधिकारी परवन वृहद सिचाई परियोजना झालावाडा।
20. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प बिलेण्डी पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया ... है। विवादित आरजी वाके ग्राम फतेहपुर के खसरा नंबर 16 रकबा 1.19 बीघा, खसरा नंबर 17 रकबा 7.13 बीघा, खसरा नंबर 48 ... 7.02 बीघा, खसरा नंबर 57 रकबा 2.18 बीघा, खसरा नंबर 59 रकबा 4.19 बीघा, खसरा नंबर 82 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नंब... रकबा 2.08 बीघा, खसरा नंबर 84 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 85 रकबा 2.07 बीघा, खसरा नंबर 126 रकबा 1.03 बीघा, खसरा ... 133 रकबा 2.03 बीघा कुल 11 किता रकबा 34.19 बीघा में से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को 10.02 बीघा का खातेदार कृषक घोषित ... जाता है। शेष भूमि वादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी मे रहेगी। प्रतिवादी क्रम 5 ता 21 का नाम उक्त आराजी मे से हटाने/... करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है।

साक्ष्य की नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक........................को निर्गत किया गया।

कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		

19. गुड्डीबाई आयु वर्ष पुत्री श्योजी
20. नटीबाई आयु वर्ष पुत्री श्योजी

Scanned by CamScanner